राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1108/2019

महेश चन्द **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उपनिदेशक, भरतपुर संभाग, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.05.2019
आदेश की दिनांक : 19.06.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.01.1997 को शारीरिक शिक्षक के पद पर की गई थी। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 29.09.2015 (अनुलग्नक–1) द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर वरिष्ठता सूची में नाम जुडवाने का निवेदन किया। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 17.12.2014 (अनुलग्नक–2) द्वारा शारीरिक शिक्षक से वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के पद पर पदोन्नति किया गया परन्तु उसकी सूचना अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कभी भी उपलब्ध नहीं करायी गयी और अपीलार्थी का नाम अन्तिम पात्रता सूची से हटा दिया गया। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2016–17 की अन्तिम पात्रता सूची में अपना नाम शामिल करवाने का लगातार निवेदन किया जाता रहा है (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी ने उपनिदेशक भरतपुर संभाग के कार्यालय में सम्पर्क किया, तो अपीलार्थी को बताया गया कि उसके नाम के विरूद्ध पदोन्नति परित्याग करना अंकित है। अपीलार्थी ने तब उपनिदेशक, भरतपुर को दिनांक 06.09.2016 (अनुलग्नक–4) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया कि उसके अन्तिम पात्रता सूची में पदोन्नति आदेश जारी किया जावे। अपीलार्थी द्वारा लगातार अभ्यावेदन दिनांक 21.07.2017 (अनुलग्नक–5) 23.10.2018 (अनुलग्नक–6) एवं अनुलग्नक–7 प्रस्तत किए गए। परन्तु अपीलार्थी को वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 की रिक्तियों के विरूद्ध भी पदोन्नत नहीं किया गया। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के पद पर वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरूद्ध जारी पात्रता सूची में अपीलार्थी का

नाम शामिल नहीं किया गया (अनुलग्नक–8)। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलार्थी को वर्ष 2014–15 में अपीलार्थी की पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जावे क्योकि अपीलार्थी ने कभी भी पदोन्नति का परित्याग नहीं किया है या विकल्प के तौर पर बाद के वर्षों में विभागीय पदोन्नति समिति में विचार किया जाकर उसे वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर कहा कि अपीलार्थी का वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के आधार पर पदोन्नति दी गई थी परन्तु अपीलार्थी द्वारा पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया और कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण आगामी दो वर्षों 2015–16 एवं 2016–17 की पदोन्नति हेतु पात्र नहीं होने के कारण अपीलार्थी का नाम पात्रता सूची में शामिल नहीं किया गया। चूंकि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2014–15 में पदोन्नति आदेश दिनांक 17.12.2014 की पालना में निहित तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। इस कारण से उसे पदोन्नति परित्याग की श्रेणी में माना गया है और अपीलार्थी द्वारा अत्यन्त विलम्ब से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसका कोई औचित्य नहीं है। वर्ष 2017–18 में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक की पदोन्नति हेतु उपलब्ध रिक्त पदों में एससी वर्ग का कोई पद रिक्त नहीं था। अतः वर्ष 2017–18 की पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है। अपीलार्थी का वरिष्ठता क्रमांक 885/71–97 है और उससे कनिष्ठ किसी भी कार्मिक को पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया है। वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 और 2019–20 में एससी वर्ग के पद रिक्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी की पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

प्रकरण में विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई और पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्डों का अवलोकन कर मनन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 17.12.2014 (अनुलग्नक–2) द्वारा शारीरिक शिक्षक से वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के पद पर पदोन्नति किया गया परन्तु उसकी सूचना अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कभी भी उपलब्ध नहीं करायी गयी। अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में लगातार निवेदन किया जाता रहा है (अनुलग्नक–3 से 7) और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा पदोन्नति का परित्याग किए जाने के कारण पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया है, जबकि अपीलार्थी द्वारा कभी भी प्रत्यर्थी विभाग को पदोन्नति से परित्याग के संबंध में कोई निवेदन नहीं किया गया है न ही प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति परित्यागता के संबंध में कोई स्वीकृति/आदेश जारी नहीं किया गया है। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बाद के वर्षों में आयोजित की गई पदोन्नति में भी उसे पदोन्नत नहीं किया गया है,

जबकि जारी वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम अंकित है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलार्थी को वर्ष 2014–15 में अपीलार्थी की पदोन्नति का लाभ प्रदान कराया जावे या विकल्प के तौर पर बाद के वर्षों में विभागीय पदोन्नति समिति में विचार किया जाकर उसे वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम 1970 के नियम 25क की ओर अधिकरण का ध्यान आकृषित किया है और निवेदन किया है कि पदोन्नति छोड़ने हेतु लिखित आवेदन किए जाने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे स्वीकार किए जाना आवश्यक है, जबकि इस प्रकरण में अपीलार्थी को पदोन्नति के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सूचित ही नहीं किया गया है। राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम, 1970 के नियम 25क यहाँ प्रासंगिक है किः– **''25 क पदोन्नतियाँ छोड़ने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति पर प्रतिबन्ध– यदि कोई व्यक्ति, अगले उच्चतर पद पर अर्जेन्ट अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर नियमित आधार पर पदोन्नति द्वारा अपनी नियुक्ति होने पर अपने लिखित निवेदन से ऐसी नियुक्ति छोड़ देता है और यदि संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी उसके निवेदन को स्वीकार कर लेता है तो संबंधित व्यक्ति को पश्चातवर्ती दो भर्ती वर्षों हेतु, जिनके लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होती है, पदोन्नति हेतु (अर्जेन्ट, अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या नियमित आधार पर दोनों ही मामलों में) विचार करने के लिए विवर्जित किया जायेगा और ऐसे व्यक्ति का नाम, जो पदोन्नति छोड़ देता है, पश्चातवर्ती दो भर्ती वर्षों की विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रखी जाने वाली वरिष्ठता एवं पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।''** अतः अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सूचित नहीं किये जाने से अपीलार्थी द्वारा पदोन्नति का परित्याग करने के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग का आधार निराधार है।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी का वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के आधार पर पदोन्नति दी गई थी परन्तु अपीलार्थी द्वारा पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया और कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण आगामी दो वर्षों 2015–16 एवं 2016–17 की पदोन्नति हेतु पात्र नहीं होने के कारण अपीलार्थी का नाम पात्रता सूची में शामिल नहीं किया गया। चूंकि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2014–15 में पदोन्नति आदेश दिनांक 17.12.2014 की पालना में निहित तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। इस कारण से उसे पदोन्नति परित्याग की श्रेणी में माना गया है और अपीलार्थी द्वारा अत्यन्त विलम्ब से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसका कोई औचित्य नहीं है। वर्ष 2017–18 में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक की पदोन्नति हेतु उपलब्ध रिक्त पदों में एससी वर्ग का कोई पद रिक्त नहीं था। लिहाजा वर्ष 2017–18 की पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है। अपीलार्थी का वरिष्ठता क्रमांक 885/71–97 है और उससे

कनिष्ठ किसी भी कार्मिक को पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया है। वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 और 2019–20 में एससी वर्ग के पद रिक्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी की पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया है। इस आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की पदोन्नति वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के पद पर वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध आदेश दिनांक 17.12.2014 (अनुलग्नक–2) द्वारा की गई है, जिसमें स्पष्ट अंकन है कि संबंधित कार्मिक को आदेश तामिल करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय संस्था प्रधान या कार्यालय अध्यक्ष की होगी। प्रस्तुत अपील में ऐसा कोई रिकॉर्ड पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो कि अपीलार्थी को पदोन्नति आदेश के संबंध में सूचित किया गया हो। साथ ही पदोन्नति हेतु संबंधित संस्था प्रधान द्वारा भी अपीलार्थी को कार्यमुक्त करने के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिसके अभाव में यह माना जायेगा कि अपीलार्थी को उसकी पदोन्नति आदेश दिनांक 17.12.2014 में किसी प्रकार की सूचना प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रत्यर्थी विभाग का दायित्व है कि संबंधित कार्मिक को पदोन्नति आदेश के संबंध में सूचित किया जावे एवं साथ ही उसे नवीन पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त किया जावे, परन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। पदोन्नति परित्याग का प्रश्न तो पदोन्नति संबंधी सूचना दिये जाने के पश्चात उत्पन्न होता है।

पत्रावली पर के पदोन्नति आदेश की सूचना अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिए जाने एवं पदोन्नत पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्ति की कार्यवाही करने संबंधी कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारा विनम्र मत है कि अपीलार्थी वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्राप्त करने का पूरा हकदार है। लिहाजा प्रत्यर्थी विभाग को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी को वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के पद पर आदेश दिनांक 17.12.2014 द्वारा की गई पदोन्नति का लाभ दिया जावे और नियमानुसार अन्य पारिणामिक लाभ भी अपीलार्थी को दिया जावे। समस्त कार्यवाही प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आगामी 3 माह में सुनिश्चित की जावे।

आदेश आज दिनांक 19.06.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)